भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
gional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3,Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक 6-MPB 140/2008-BHO/ 857, दि0 12-05-2010,

प्रति,

अपर मुख्य सचिव(वन),
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल ।

विषयः गुना जिले के अन्तर्गत वनमण्डल (सामान्य) गुना की 3.918 हे0 वनभूमि करनावटा से सुआटोर मार्ग निर्माण हेतु म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई को उपयोग पर देने बावत् ।

संदर्भः 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–एमपीबी 140 / 2008–बीएचओ / 2763 दिनांक 17 / 11 / 2008 एवं समसंख्यक पत्रांक 1202 दिनांक 14 / 05 / 2009

2.अपर प्रधान मु0व0सं0(भू–प्रबंध) म0प्र0 का पत्रांक एफ–5 / 548 / 08 / 10–11 / 862 दिनांक 21 / 04 / 09, समसंख्यक पत्रांक 2699 दिनांक 04 / 12 / 2009 एवं 777 दिनांक 31 / 3 / 2010

महोदय,

कृपया मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी म0प्र0 का पत्रांक एफ–5 / 548 / 08 / 10–11 / 2225 दिनांक 26 / 09 / 2008 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, म0प्र0 शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से 3.918 हे0 वनभूमि करनावटा से सुआटोर मार्ग निर्माण हेतु म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई वनेत्तर उपयोग के लिये दिये जाने का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2.अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 3.918 हे0 गैर वनभूमि (सर्वे क्रमांक 1/1 तथा 1/1(क) ग्राम–ओखरीखेड़ा, तह0–गुना, जिला–गुना पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित किया जायेगा ।

स) इस गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

3. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।

4. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।